

प्रेषक,

सेवा में,

संयुक्त शिक्षा निदेशक
बरेली मण्डल, बरेली ।

सचिव

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र

प्रोति विहार, नई दिल्ली ।

पत्राक

विषय-

महोदय

सी0बी0एस0ई0 / 4893-4900 / 2021-22 दिनांक 28-11-2021
सेंट जॉन स्कूल, खुटार रोड बण्डा, शाहजहाँपुर को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि शासनादेश सं० शिक्षा अनुभाग-7 1916/15 -7-2009-1(290)/2007 दिनांक 14 जुलाई 2009 के संदर्भ में मण्डल स्तर पर गठित समिति के निर्णय दिनांक 28.11.2021 के क्रम में उक्त विद्यालय को में सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने हेतु राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है-

- 01- विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
 - 02- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
 - 03- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जन जाति के मेवादी छात्र/छात्राओं के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
 - 04- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन नई दिल्ली / कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा ।
 - 05- संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।
 - 06- कर्मचारियों की सेवा शर्त बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा ।
 - 07- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उसका पालन करेगी ।
 - 08- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजीकाओं में रखा जायेगा ।
 - 09- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिष्कार नहीं किया जायेगा ।
- उक्त का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय

(अजय कुमार द्विवेदी)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
बरेली मण्डल, बरेली ।

28/11/2021

40 सो सी0बी0एस0ई0 / 4893-4900 / 2021-22 उक्त तिथि को
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
PRINCIPAL
SAINT JOHN SCHOOL
Khutar Road, Banda
Dist. Shahjahanpur (U.P.)

MANAGER
SAINT JOHN SCHOOL
Khutar Road, Banda
Dist. Shahjahanpur (U.P.)

- 1-आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली।
- 2-संयुक्त सचिव, उ०प्र० शासन, शिक्षा अनुभाग, लखनऊ।
- 3-शिक्षा निदेशक (मा०) उ०प्र० लखनऊ।
- 4-जिलाधिकारी, शाहजहाँपुर।
- 5-जिला विद्यालय निरीक्षक शाहजहाँपुर।
- 6-प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, सेंट जॉन स्कूल, खुटार रोड बण्डा, शाहजहाँपुर।
- 7-निरीक्षक, आगल भाषा, भारतीय विद्यालय उ०प्र० लखनऊ।

संयुक्त शिक्षा निदेशक
बरेली मण्डल, बरेली।
28/11/2021

Sr. Priya
PRINCIPAL
SAINT JOHN SCHOOL
Khutar Road, Banda
Dist. Shahjahanpur (U.P.)

Sr. Priya
MANAGER
SAINT JOHN SCHOOL
Khutar Road, Banda
Dist. Shahjahanpur (U.P.)